भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में व्यावसायिक थैरेपिस्ट के पद के लिए प्रारुप भर्ती नियमों पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में व्यावसायिक थैरेपिस्टके पद के लिए प्रारुप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारुप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारुप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(अजय कुमार केपी)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली
दिनांक:

अनुलग्नक

क्र.सं.	अनुसूची के अनुसार	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	परिवर्तन के कारण/ टिप्पणी
1.	पद का नाम	व्यावसायिक थैरेपिस्ट	व्यावसायिक थैरेपिस्ट	
2.	पदों की सं.	2	3*(कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सीआईपी, रांची ने सूचित किया है कि एक पद दिनांक 04.01.1972 के पत्र सं. 26-32/71-एमएच के द्वारा वर्ष 1972 में सृजित किया गया था। किंतु सीआईपी, रांची ने सूचित किया है कि आदेश की प्रति नहीं मिल पा रही है और यह अब तक प्राप्त नहीं हुई है।
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-IIIपद अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	दिनांक 17.04.2009 के का.ज्ञा.सं. ए.11012/07/2008 के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पीबी-2 में ग्रेड वेतन रुपए 4200/- वाला एक केंद्रीय सिविल पद समूह 'ख' में रखा जाएगा।
4.	वेतनमान (अब वेतन मैट्रिक्स में वेतन)	रु. 160-10-330 दूसरा के.वे.आ. 210-10-290-15-	वेतन मेट्रिक्स का लेवल-6 (रु. 35400)	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार

		320 ईबी-15-425 तीसरा के.वे.आ. - 425-15-500-ई.बी.-15-560-20-700 चौथा के.वे.आ. - 1400-40-1800-ईबी-50-2300 पांचवां के.वे.आ. - एस-10 (5500-175-9000) छठा के.वे.आ.- पी.बी.2, ग्रे.वे. रु. 4200 सातवां के.वे.आ.- वे.मे. का लेवल 6 (रु. 35400)		
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	25 वर्ष	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक शिथिलनीय)	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2013 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/48/2010-स्था. (आरआर) द्वारा जारी भर्ती नियम बनाने / संशोधन करने / छूट देने विषयक दिशा-निर्देशों के 3.7.4.1 के अनुसार

7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हता	1. मेट्रिकुलेशन 2. ओ.टी. प्रशिक्षण स्कूल से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र 3. रोगियों को पढाए जाने वाले उपयुक्त हस्तशिल्प का ज्ञान	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक थैरेपी में स्नातक डिग्री, और (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक थैरेपिस्ट के रूप में 2 वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान सहित) के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक थैरेपी में 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा और (iii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक थैरेपिस्ट के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।	**सीआईपी रांची, द्वारा प्रस्तावित** 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (10+2) या समतुल्य 2. व्यावसायिक थैरेपी में डिप्लोमा/डिग्री **डॉ. आरएमएल अस्पताल में सीधी भर्ती के लिए भर्ती नियम** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से व्यावसायिक थैरेपी में स्नातक डिग्री, और (ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक थैरेपिस्ट के रूप में 2 वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान सहित) के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से व्यावसायिक थैरेपी में

				2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा और (iii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक थैरेपिस्ट के रूप में 3 वर्ष का अनुभव। **राष्ट्रीय अस्थि विकलांगजन संस्थान, कोलकाता में** (i) व्यावसायिक थैरेपी में बीएससी डिग्री/ डिप्लोमा व्यवसाय में वरीयता 2 वर्ष का अनुभव डॉ. आरएमएल अस्पताल के भर्ती नियमों की शैक्षिक अर्हता लागू की जाए।
8	क्या सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	लागू नहीं	
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष	
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धत्तियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती	100% सीधी भर्ती द्वारा	
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे	लागू नहीं	लागू नहीं	

	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।			
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरण समिति: 1. निदेशक (सीआईपी)- अध्यक्ष 2. विशेषज्ञ ग्रेड-I अधिकारी- सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य	
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं।	